न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 16/2017 RCMS No.—2017/00043

रामगोपाल पारीक पुत्र भौरी लाल पारीक उम्र वर्ष जाति पारीक निवासी ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत वाटिका जरिये सरपंच ग्राम पंचायत वाटिका तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. शंकर लाल सैन पुत्र स्व. श्री भैरूलाल सैन उम्र 56 वर्ष जाति नाई निवासी ग्राम पंचायत वाटिका तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. जगदीश सैन पुत्र कालूराम जाति नाई निवासी ग्राम पंचायत वाटिका तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...विपक्षीगण

निगरानी बाबत निरस्त किये जाने पट्टा दिनांक 01.02.2008 मिसल संख्या 138 पट्टा संख्या 301 तथा मिसल संख्या 137 पट्टा संख्या 1200 दिनांक 24.12.2007 जारी ग्राम पंचायत वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

उपस्थितः–
1. श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री दुष्यंत अवस्थी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–दो व तीन की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.11.2018

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत वाटिका, पं.स.सांगानेर द्वारा विपक्षी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में क्रमशः अपने आदेश दिनांक 01.02.2008 मिसल संख्या 138 पट्टा संख्या 301 तथा आदेश दिनांक 24.12.2007 मिसल संख्या 137 पट्टा संख्या 1200 जारी किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 09.11.2016 को न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश दिनांक 30.03.2017 की अनुपालना में स्थानान्तरित होकर पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई। विपक्षी संख्या दो व तीन की ओर से श्री दुष्यंत अवस्थी अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत वाटिका के पत्रांक 112 दिनांक 15.03.2018 द्वारा उक्त मूल पट्टा पत्रावलीयां ग्राम पंचायत से प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत वाटिका तहसील सांगानेर ने गैर निगरनीकर्ता संख्या 2 के भाई व गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 के पिता के हक में निःशुल्क आवासीय आवंटन पट्टा दिनांक 25.05.1993 को जारी किया गया जिसका कुल क्षेत्रफल 150 वर्गगज है। उक्त पट्टे के

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

आधार पर आपसी बंटवारे में गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 के हक में दिनांक 24.12.2007 मिसल संख्या 137 पट्टा संख्या 1200 जारी करवा लिया तथा निगरानीकर्ता संख्या 3 के हक में मिसल संख्या 01.02.2008 मिसल संख्या 138 द्वारा पट्टा संख्या 301 में जारी किया गया। उक्त पट्टे पूर्णतया विधि के सर्वमान्य सिद्वान्तों तथा पत्रावली एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत वाटिका द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 के दादा व गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 के पिता के हक में निःशुल्क आबादी भूमि का पट्टा दिनांक 25.05.1993 को जारी किया गया था जिसका क्षेत्रफल 150 वर्गगज था। ग्राम पंचायत वाटिका द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त निगरानीधीन पट्टे जिनका क्षेत्रफल 287.77 वर्गगज व 210 वर्गगज है जारी कर दिये। जबकि कालूराम के हक में जारी पट्टे का आपसी सहमति के हक में विभाजन करते हुए जारी किये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 को गै.मुमकिन आबादी में से जो पट्टे जारी किये गये है मौके पर मौजूद भूमि नहीं है तथा पंचायत कार्यालय में उक्त तथाकथित पट्टो की पत्रावली मौजूद नहीं है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 व 3 उक्त पट्टो के आधार पर निगरानीकर्ता के कब्जे व खरीदशुदा भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है तथा निगरानीकर्ता को स्वयं की भूमि में से बेदखल करने पर आमादा है। निगरानीकर्ता को उक्त पट्टो की जानकारी प्राप्त होते ही माननीय न्यायालय में निगरानी पेश की गई है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा उक्त पट्टे नियम विरूद्व जाकर गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से जारी किये गये है। उक्त पट्टो को जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस आपत्ति जारी नही किया एवं ना ही पंचायती राज अधिनियम की पालना की गई है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक में जारी पट्टा मिसल संख्या 137 138 पट्टा संख्या 1200 व 301 आदेश दिनांक कमशः 24.12.2007 व 01.02.2008 को निरस्त करने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–दो व तीन की ओर से दौराने बहस कथन किया कि निगरानीधीन आदेश पंचायती राज के नियमों की पूर्ण रूप से पालना करते हुए पारित कर नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक में निगरानीधीन पट्टे जारी किया गया है। उक्त निगरानी टाइम बार्ड होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत वाटिका द्वारा नियमानुसार मिसल तैयार कर प्रस्ताव लिया जाकार मौका निरीक्षण हेतु पंचो की नियुक्ति की तथा आपत्तियां बाबत सार्वजनिक स्थल, मौके पर अन्य जगह नोटिस चस्पा किये। नोटिस समयावधि होनेपर आपत्ति नहीं आने पर दिनांक 25.05.1993 को कालू पुत्र भैरू गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 के भाई व गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 के पिता के नाम से अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कारीगरो सीमान्त कृषको आबादी/श्र. भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड का प्रपत्र जारी किया गया था। ग्राम

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

पंचायत वाटिका ने गैर निगरानीकारान मध्य सहमति से बंटवारे बाबत पेश किया प्रार्थना पत्र पर मिसल संख्या 137 व 138 तैयार की एवं नियमानुसार उक्त निगरानीधीन दोनो पट्टे पंचायती राज नियमों की पालना करते हुए जारी किया गया है। निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में यह कही अंकित नहीं किया कि अन्य किसी व्यक्ति की आबादी भूमि में पट्टा जारी कर दिया हो एवं उक्त पट्टो से किसी प्रकार निगरानीकर्ता के अधिकार का हनन होता है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार एवं गैर निगरानीकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं ग्राम पंचायत वाटिका से प्राप्त मूल पट्टा पत्रावलियों आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की मुख्य दलील है कि गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 के भाई व पिता कालूराम पुत्र भैरू को दिये गये आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 150 वर्गगज में से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के मध्य सहमति से बंटवारे के आधार पर निगरानीधीन पट्टे कमशः1200 व 301 जारी किये गये। निगरानीधीन दोनो पट्टो का क्षेत्रफल 150 वर्गगज होना चाहिए जबकि दोनो पट्टे 210 वर्गगज व 287.77 वर्गगज के ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए जो न्यायोचित नहीं है। वकील गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 का कथन है कि ग्राम पंचायत वाटिका द्वारा पंचायती राज नियमों का पालन करते हुए निगरानीधीन पट्टे जारी किये है। निगरानी टाइम बार्ड होने से खारिज योग्य है। मियाद के बिन्दु के आधार पर निगरानी खारिज करना न्यायहित में उचित नहीं है क्योंकि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 या राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 में निगरानी के सम्बन्ध में मियाद के बिन्दु पर कोई अवधारणा निर्धारित नहीं है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत वाटिका की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत वाटिका द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टो पर तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर नहीं है एवं गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 के पट्टा आवेदन हेतु पेश किए शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है। विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकारान द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज/सबूत पेश नहीं किया जिससे ये स्पष्ट हो कि गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 को आबादी भूमि में से जो भूखण्ड पट्टे आवंटित किए गये है मौके पर गैर निगरानीकारान का कब्जा है एवं मौके पर आबादी भूमि मौजूद है। उक्त दोनो पट्टा पत्रावलियों का संधारण सरपंच ग्राम पंचायत वाटिका द्वारा किया जाकर अपने स्तर पर ही पट्टे जारी किये गये है, पट्टा पत्रावलियों में सचिव ग्राम पंचायत वाटिका के हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज अधिनियम व नियमों की पालना नहीं की गई है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत वाटिका, पं.स. सांगानेर द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 शंकर लाल सैन पुत्र स्व. भैरूलाल के हक में मिसल संख्या 137 आदेश दिनांक 24.12.2007 द्वारा जारी पट्टा संख्या 1200 एवं गैर निगरानीकार संख्या 3 जगदीश पुत्र कालूराम के हक में मिसल संख्या 138 आदेश दिनांक 01.02.2008 द्वारा जारी पट्टा संख्या 301 निरस्त किया जाता है। साथ ही पत्रावली ग्राम पंचायत वाटिका, पंचायत समिति सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(**Remand**) की जाती है कि पक्षकारान की नियमानुसार सुनवाई की जाकर मौके का निरीक्षण ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत के वार्ड पंचगण तथा संबंधित निकटवर्ती भूमियों के पट्टाधारी व्यक्तियों के समक्ष कराया जाकर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम व नियमों के अर्न्तगत विधिसम्मत निर्णय लेवे। अधीनस्थ ग्राम पंचायत वाटिका पंचायत समिति सांगानेर को मुताबिक निर्णय कार्यवाही किये जाने हेतु निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अति. कलक्टर-प्रथम,
जयपुर

अति जिला कलक्टर-प्रथम
जयपुर